रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2007/चैत्र 20, 1929
No. 79] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2007/CHAITRA 20, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 अप्रैल, 2007

सं. टीएएमपी/48/2005-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, जेएनपीटी के बीपीसीएल जेट्टी पर बर्थ किराया प्रभारों की लेवी से संबंधित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन दिनांक 18 दिसंबर, 2006 को निपटाता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/48/2005-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास . . .आवेदक

आदेश

(मार्च 2007 के 28वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने, अपने दरमान में सामान्य संशोधन हेतु जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित प्रकरण सं. टीएएमपी/48/2005-जेएनपीटी में, दिनांक 28 सितंबर, 2006 को एक आदेश पारित किया गया था। यह आदेश राजपत्र सं. 162 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. जेएनपीटी पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा प्रचालित जेट्टी पर आने वाले जलयानों के लिए लागू बर्थ किराया प्रभारों के बारे में अपने पत्र दिनांक 18 दिसंबर, 2006 द्वारा, अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। जेएनपीटी द्वारा उल्लेख किये गये मुख्य बिन्दुओं का संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया है :

(i) जेएनपीटी दरमान के खंड 2.3 में निर्धारित बर्थ किराया अनुसूची, बीपीसीएल द्रव कार्गो जेट्टी पर प्रहस्तन किये जाने वाले जलयानों के लिए लागू बर्थ किराया प्रभावों की दर के बारे में स्पष्ट नहीं है।

(ii) सितंबर, 2006 संशोधन के पहले, बल्क और बहुप्रयोजनीय बर्थों पर लागू दरों को ही बीपीसीएल द्रव कार्गो जेट्टी पर प्रहस्तित जलयानों पर भी लगाया गया था।

(iii) जेएनपीटी, लंगर डालने वाले पोतों पर उसी संशोधित दर से बर्थ किराया लगायेगा जो कन्टेनर बर्थ पर लागू है।

3.1 जेएनपीटी ने अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में, कन्टेनर बर्थ, बल्क बर्थ, बहुप्रयोजनीय बर्थ तथा उतराई जेट्टी के लिए एक ही बर्थ किराया दर प्रस्तावित की थीं। इस प्राधिकरण के समक्ष संगत कार्यवाहियों के दौरान इस दिशा में उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में जेएनपीटी ने अपने पत्र दिनांक 11 सितंबर, 2006 द्वारा, अन्य मुद्दों के साथ ब्रेक बल्क बर्थ और बहुप्रयोजनीय बर्थों के लिए निर्धारित बर्थ किराया प्रभारों की दरों के संबंध में दरमान की अनुसूची 2.3 में प्रस्तावित प्रविष्टियों को इस आधार पर निकालने का प्रस्ताव किया था कि बल्क बर्थ और बहुप्रयोजनीय बर्थ अब है ही नहीं। इस पृष्ठभूमि में जेएनपीटी के अक्तूबर, 2006 में अधिसूचित दरमान में से संबंधित प्रविष्टियाँ हटा दी गयी थीं।

3.2 जेएनपीटी के संशोधन पूर्व दरमान में कन्टेनर बर्थ, बल्क बर्थ, बहुप्रयोजनीय बर्थों के लिए, एक समान बर्थ किराया दर निर्धारित की गई थीं। अब पत्तन ने यह कहा है कि बल्क बर्थ/बहुप्रयोजनीय बर्थ के लिए लागू बर्थ किराया दर को, बीपीसीएल जेट्टी पर प्रहस्तित पोतों पर भी लागू करा दिया गया था। सितंबर, 2006 में अनुमोदित किये गये संशोधित दरमान में, कंटेनर के लिए लागू (उस समय) प्रचलित बर्थ किराया दर पर, जैसे जेएनपीटी ने प्रस्तावित किया था, एक नयी व्यवस्था के रूप में निर्धारण करने के लिए विचार किया गया था बशर्ते दिनांक 28 सितंबर, 2006 के आदेश में अनुमोदित दरों में कमी के लिए समायोजन किया जाये। ऐसी स्थिति में यह प्राधिकरण, जेएनपीटी के इस प्रस्ताव पर कि कंटेनर बर्थ के लिए निर्धारित बर्थ किराये दर को ही बीपीसीएल जेट्टी पर प्रहस्तित पोतों पर भी लगा दिया जाए, अनुमोदन करने के लिए प्रवृत्त होता है। तथापि, जेएनपीटी को पूँजी और व्यय की गयी प्रचालन लागत और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर द्रव कार्गो जेट्टी के लिए एक अलग बर्थ किराया दर निर्धारित करने वाला अपना प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी जाती है।

4. इसके परिणामस्वरूप और ऊपर दिये गये कारणों से और सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण बीपीसीएल जेट्टी पर प्रहस्तित जलयानों के लिए, कंटेनर बर्थों पर लागू बर्थ किराया प्रभारों की संशोधित दर लागू करने के जेएनपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करता है। जेएनपीटी को यह निदेशित किया जाता है कि वह अपने अधिसूचित दरमान की धारा 2.3 बर्थ किराया प्रभार की अनुसूची के नीचे, निम्नलिखित टिप्पण को समाविष्ट करे :

"टिप्पण : कंटेनर बर्थ के लिए निर्धारित दरें बीपीसीएल जेट्टी पर प्रहस्तित जलयानों पर भी लागू होंगी।"

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007-असा.]